

वाणिज्य बैंकों द्वारा 30 जून 2010 तक मंजूर मीयादी ऋणों सहित सभी रुपया अग्रिमों के लिए ब्याज दर ढाँचा (पैराग्राफ 2)

ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)

| | |
|--|---|
| 1. (क) 2 लाख रुपये सहित 2 लाख रुपये तक | बैंचमार्क मूल उधार दर से अधिक नहीं |
| (ख) 2 लाख रुपये से अधिक | बैंचमार्क मूल उधार दर और स्प्रेड संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक ब्याज दर निश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि बैंक अपने निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित पारदर्शी एवं यथार्थपरक नीति के आधार पर निर्यातकों या सरकारी उद्यमों सहित अन्य योग्य उधारकर्ताओं को बैंचमार्क मूल उधार दर से कम दर पर भी ऋण दे सकते हैं। |

2. निर्यात ऋण (30 जून 2010 तक)

निर्यात ऋण की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए 1 मई 2010 से 30 जून 2010 तक की अवधि के लिए लागू ब्याज दर, बैंचमार्क मूल उधार दर से 2.5 प्रतिशतता बिंदु घटाकर आनेवाली दर से अनधिक होंगे।

| निर्यात ऋण की श्रेणियां | |
|-------------------------|--|
| 1. | पोतलदानपूर्व ऋण (अग्रिम की तारीख से) |
| | (क) 270 दिन तक |
| | (ख) ईसीजीसी गारंटी के अंतर्गत आने वाले, सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों के आधार पर 90 दिन तक |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| 2. | पोतलदानोत्तर ऋण (अग्रिम की तारीख से) | |
| | (क) मांग बिलों पर पारगमन अवधि के लिए (फेडाई द्वारा यथानिर्दिष्ट) | |
| | (ख) मीयादी बिल (कुल अवधि के लिए जिसमें निर्यात बिलों की मीयाद, फेडाई द्वारा निर्दिष्ट पारगमन अवधि तथा अनुग्रह अवधि, जहां कहीं लागू हो, शामिल होगी) | |
| | i) 180 दिनों तक | |
| | ii) गोल्ड कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र निर्यातकों के लिए 365 दिन तक | |
| | (ग) सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों (ईसीजीसी गारंटी के अंतर्गत आने वाले) के आधार पर 90 दिन तक | |
| | (घ) अनाहरित शेष राशियों के आधार पर (90 दिनों तक) | |
| | (ड.) पोतलदान की तारीख से एक वर्ष के भीतर देय प्रतिधारण राशि के आधार पर (केवल आपूर्ति वाले भाग के लिए) (90 दिनों तक) | |
| बीपीएलआर : बेंचमार्क मूल उधार दर | | |
| नोट: 1. चूंकि ये अधिकतम दरें हैं, इसलिए बैंक अधिकतम दर से नीचे किसी भी दर पर ब्याज लगा सकते हैं। | | |
| 2. उपर्युक्तानुसार निर्धारित अवधियों से अधिक के निर्यात ऋण की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए निर्धारित ब्याज दर अविनियमित हैं और बैंक बेंचमार्क मूल उधार दर और स्प्रेड दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर ब्याज दर निश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं। | | |
| 3. | 30 जून 2010 तक शैक्षणिक ऋण योजना | |
| | 4 लाख रुपये तक | बेंचमार्क मूल उधार दर से अधिक नहीं |
| | 4 लाख रुपये से अधिक | बेंचमार्क मूल उधार दर +1% |
| नोट | 1. चुकोती छूट अवधि/ऋण-स्थगन अवधि के दौरान सरल आधार पर तिमाही/अर्धवार्षिक ब्याज नामे लिखा जाए। | |
| | 2. दो लाख रुपए से अधिक के ऋणों के लिए अतिदेय अवधि और अतिदेय राशि पर 2% दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाए। | |
| 4. | निम्नलिखित ऋणों के संबंध में 30 जून 2010 तक बैंक बेंचमार्क मूल उधार दर | |

| | | |
|------------|---|-------------|
| | और आकार पर ध्यान दिए बिना ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं: | |
| i. | उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ खरीदने के लिए ऋण। | |
| ii. | शेयरों और डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को ऋण। | |
| iii. | क्रेडिट कार्ड देयताओं सहित गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्य व्यक्तिगत ऋण। | |
| iv. | बैंकों के पास जमाओं/अनिवासी बाह्य/विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) जमाओं के आधार पर अग्रिम/ओवरड्राफ्ट, परंतु शर्त यह होगी कि जमाराशि या तो उधारकर्ता के खुद के नाम में हो या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से उधारकर्ता के नाम में हो। | |
| v. | अंतिम लाभग्राहियों और इनपुट सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों को ऋण दिए जाने हेतु मध्यवर्ती एजेंसियों को (आवास एजेंसियों को छोड़कर) मंजूर किया गया वित्त। | |
| vi. | अंतिम लाभग्राहियों को ऋण दिए जाने हेतु आवास वित्त मध्यवर्ती एजेंसियों को मंजूर किया गया वित्त। | |
| vii. | बिलों की भुनाई। | |
| viii. | वस्तुओं की जमानत पर ऋण /अग्रिम/नकदी ऋण /ओवरड्राफ्ट, परंतु इस मामले में चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी शर्तें लागू होंगी। | |
| ix. | किसी सहकारी बैंक को या किसी अन्य बैंकिंग संस्थान को। | |
| x. | अपने ही कर्मचारियों को। | |
| 5. | 30 जून 2010 तक मीयादी ऋण संस्थाओं की पुनर्वित्त योजनाओं में सहभागिता के कारण सुरक्षित ऋण | |
| | बेंचमार्क मूल उधार दर का ध्यान रखे बिना, पुनर्वित्त एजेंसियों की शर्तों के अनुसार ब्याज लगाने के लिए स्वतंत्र। | |
| 6. | डी आर आई अग्रिम | 4.0% |
| नोट | मध्यवर्ती एजेंसियों के नाम मास्टर परिपत्र के अनुबंध 2 में दिये गये हैं। | |
